दांडिक अपील क्रमांक 1176 /1994

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति और
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 1176/1994

फागू सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

आदेश विचारार्थ प्रस्तुत सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें **15-03-2011**

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 1176 /1994

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश और
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 1176/1994

अपीलकर्ता — फागू सिंह पिता मंशा राम, आयु **- 18** वर्ष, निवासी **-** गांव शीतल पानी, पी.एस. चिल्फी , तहसील- कवर्धा, जिला – राजनांदगांव अब कवर्धा **(**म.प्र.-अब छत्तीसगढ़**)**

बनाम

प्रत्यर्थी — मध्य प्रदेश राज्य **(**अब छत्तीसगढ़ राज्य**)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दांडिक प्रक्रिया संहिता, 1973 **की धारा** 374 (21) **के तहत दांडिक अपील)**

उपस्थित **:**

श्री अभय तिवारी और श्रीमती सविता तिवारी, अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से ।

श्री जे.ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से ।

निर्णय

(दिनांक **15-03-2011)**

न्यायलय का निम्नलिखित निर्णय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया ।

1. यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, कैंप न्यायालय कवर्धा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक **144/93** में दिनांक **28-07-1994** को दिये गए फैसले के खिलाफ है। इस फैसेल में, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा **302** और **201** के तहत दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

2. तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि **:-**

मृतक मनशा राम अपीलकर्ता के पिता थे। दिनांक **04-07-1993** को रात लगभग **10.00** बजे मनशा राम नशे की हालत में अपने घर आए। उसने अपनी पत्नी समरतिया बाई **(**अ**.**सा**.-2)** से झगड़ा किया। उसने अपीलकर्ता सहित परिवार के दूसरे सदस्यों से भी झगड़ा किया। आरोप हैं कि जब वह घर में सो रहा था तो अपीलकर्ता ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद लाश को घर के बाड़ी में दफना दिया गया। अभियोजन पक्ष का मामला है कि **10** दिन बाद अपीलकर्ता ने घासीया **(**अ**.**सा**.-3)** सुदान सिंह **(**अ**.**सा**.-6)** और बघेल सिंह **(**अ**.**सा**.-9)** के सामने गैर**-**न्यायिक स्वीकारोक्ति दिया। वे अपीलकर्ता के घर आए और वह जगह देखी जहाँ कथित तौर पर लाश दफनाई गई थी। समरतिया बाई **(**अ**.**सा**.-2)** ने प्रथम सूचना रिपोर्ट **(**प्रदर्श पी**/10)** दर्ज कराई। रिपोर्ट में उसके सामने किए गए न्यायिकेत्तर स्वकारोक्ति का भी ज़िक्र है। मृतक की लाश को **16-07-1993** को कब्र से निकाला गया और एक पंचनामा **(**प्रदर्श पी**/2)** तैयार किया गया। अन्वेषण अधिकारि ने पंचों को नोटिस दिया और मृतक की लाश का मर्ग जांच (प्रदर्श पी**/ 3)** तैयार किया। मृतक की लाश को पोस्ट मॉर्टम के लिए ब्लॉक हॉस्पिटल कवर्धा भेजा गया जहाँ दो डॉक्टरों की एक टीम ने जिसमें डॉ**.** आर**.**के**.** बख्शी **(**अ**.**सा**.-1)** शामिल थे ने पोस्ट**-**मॉर्टम किया। उन्हें शरीर पर कई चोटें मिलीं और उन्होंने राय दी कि मौत का कारण शरीर के ज़रूरी अंगों पर चोट लगने से हेमरेज और शॉक था। पोस्ट**-**मॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी **/1** है। आगे की जाँच में अपीलकर्ता को हिरासत में लिया गया और उसका मेमोरेंडम बयान **(**प्रदर्श पी**/4)** साक्ष्य अधिनियम की धारा **27** के तहत अभिलेख किया गया और अपीलकर्ता की निशानदेही पर एक कुल्हाड़ी गैंती फावड़ा और अन्य सामान ज़ब्ती मेमो प्रदर्श पी**/5** के ज़रिए ज़ब्त किए गए। इन सामानों की रासायनिक जाँच से संबंधित कोई प्रतिवेदन पेश नहीं की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष का मामला दो महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर आधारित था। पहला अपीलकर्ता ने अपनी माँ के सामने और **3** अभियोजन गवाहों यानी घसिया **(**अ**.**सा**.- 3)** सूदान सिंह **(**अ**.**सा**.-6)** और बघेल सिंह **(**अ**.**सा**.- 9)** के सामने गैर**-**न्यायिक स्वकारोक्ति दिया। दूसरा मृतक का शव अपीलकर्ता के बाड़े से बरामद किया गया था।

4. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अभय तिवारी और श्रीमती सविता तिवारी ने दलील दी कि न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति से संबंधित सबूत कमजोर हैं लाश अपीलकर्ता की निशानदेही पर बरामद नहीं हुई थी अपीलकर्ता के घर में कई लोग रहते थे इसलिए उनके घर के बाड़े से लाश की बरामदगी का इल्जाम पूरी तरह से अपीलकर्ता पर नहीं लगाया जा सकता।

5. दूसरी ओर राज्य की ओर से पेश हुए पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने इन दलीलों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का समर्थन किया।

6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बातें विस्तार से सुनी हैं और सत्र वाद के अभिलेख भी देखे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. जहां तक शव बरामद करने की बात है हमें बरामदगी पंचनामा **(**प्रदर्श पी**/2)** से पता चलता है कि शव समरतिया बाई **(**अ.सा**. 2 -** मृतक की पत्नी**)** के कहने पर बरामद किया गया था। यह अपीलकर्ता के कहने पर बरामद नहीं किया गया था। अपीलकर्ता भी शव बरामद करते समय मौजूद था। बरामदगी मेमो से पता चलता है कि अपीलकर्ता शव की पहचान का गवाह था जिसने शव की पहचान अपने पिता **(**मंशा राम **-** अब मृतक**)** के रूप में की थी। शव बरामद करने की कार्यवाही उप-विभागीय दंडाधिकारी के सामने की गई थी। गवाहों की गवाही से यह सामने आया है कि अपीलकर्ता के घर में कई लोग रहते थे क्योंकि वे संयुक्त परिवार में रहते थे। इसलिए समरतिया बाई **(**अ.सा**. -2)** के कहने पर अपीलकर्ता की बाड़ी से लाश बरामद होने का आरोप अपीलकर्ता पर नहीं लगाया जा सकता। समरतिया बाई **(**अ.सा**. -2)** मुकर गई है। उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। उसने तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का भी समर्थन नहीं किया। उसने कथित गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति का भी समर्थन नहीं किया जो अपीलकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले उसके सामने दिया था जिसका ज़िक्र हमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में मिलता है। इसलिए हम पाते हैं कि उनकी बाड़ी से लाश बरामद होने की उपरोक्त परिस्थिति का आरोप अपीलकर्ता पर नहीं लगाया जा सकता।

8. अब हम न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति की मुख्य परिस्थिति पर विचार करेंगे।

9. मुल्क राज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[**ए**.**आई**.**आर**. 1959** एस**.**सी**. 902]** मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **"**अगर कोई गैर**-**न्यायिक बयान स्वेच्छा से दिया गया है तो न्यायालय आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अन्य सबूतों के साथ उस पर भरोसा कर सकता है।**"** न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति को किसी भी दूसरे तथ्य की तरह ही साबित करना होगा। न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति के सबूत की कीमत किसी भी दूसरे सबूत की तरह उस गवाह की सच्चाई पर निर्भर करती है जिसे वह दिया गया है। यह सच है कि न्यायालय गवाह से कहता है कि वह आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए असली शब्दों को जितना हो सके बताए लेकिन यह कोई पक्का नियम नहीं है कि अगर असली शब्द नहीं बल्कि सिर्फ़ मतलब बताया जाए तो न्यायालय सबूत को स्वीकार न करे। यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह गवाह की विश्वसनीयता उस भाषा को समझने की उसकी क्षमता जिसमें आरोपी ने गैर**-**न्यायिक स्वीकारोक्ति दिया था को ध्यान में रखते हुए सबूत को स्वीकार करे या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसके अलावा अजय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य **[(2008) 1** एस**.**सी**.**सी**. (**आपराधिक**) 371]** में इसी तरह का एक सिद्धांत बताया गया था और यह माना गया था कि आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए सटीक शब्दों को दोहराना ज़रूरी नहीं है और आरोपी द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति का सार ही काफी होगा लेकिन आरोपी द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति के सबूत में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। असल में गवाहों के सबूत की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस मामले में अलग**-**अलग गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने अपराध करने के बाद आरोपी द्वारा स्वीकारोक्ति के तौर पर चिल्लाए गए अलग**-**अलग वाक्य सुने थे। उनके सबूतों पर विचार करने के बाद उच्चतम न्यायायलय ने कहा कि इस वजह से कथित गैर**-**न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा करना असुरक्षित होगा।

11. घसिया **(**अ**.**सा**.-3)** ने बयान दिया है कि जब वह अपने खेतों में हल चला रहा था तो अपीलकर्ता वहाँ आया और उसे **-** बघेल सिंह **(**अ**.**सा**.-9)** के घर ले गया। वहां उसने गैर**-**न्यायिक बयान दिया कि “उसने टांगी से वार करके अपने पिता की हत्या कर दी और लाश को अपनी बाड़ी में दफना दिया है।” बघेल सिंह **(**अ**.**सा**. -9)** ने अलग तरह से बयान दिया है। उसने गवाही दी कि “अपीलकर्ता घसीया **(**अ**.**सा**.-3)** के साथ उसके घर आया और उससे कहा कि उसने अपने पिता को मार दिया है इसलिए उसे कोई रास्ता बताए। इस पर उसने कहा कि वह कोई रास्ता नहीं बता सकता और अपीलकर्ता को पुलिस स्टेशन ले जाया

जाएगा।" सूदान सिंह **(अ.सा.-6)** ने गवाही दी कि "उस मनहूस दिन को अपीलकर्ता उसे खेतों से बुलाने आया और कहा कि सभी गाँव वाले इकट्ठा हो गए हैं**,** उसे भी आना चाहिए। वह भी उस जगह गया जहाँ दूसरे गाँव वाले इकट्ठा हुए थे। उन्होंने फागू से पूछा कि क्या बात है **?** फागू ने बताया कि उसके पिता शराब पीकर झगड़ा करते थे और उसने उसकी माँ पर भी हमला किया था इसलिए उसने कुल्हाड़ी से अपने पिता की हत्या कर दिया। उसने लाश को बाड़ी में दफनाने के बारे में भी बताया।"

12. हम पाते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति अलग-अलग समय पर अलग-अलग गवाहों के सामने दिया गया हो। इस मामले में कथित न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति एक ही जगह पर दिया गया था और ऊपर बताए गए **3** गवाहों ने न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति सुना और उसके बाद वे बाड़ी में गए वह जगह देखी जहाँ अपीलकर्ता के अनुसार लाश दफ़नाई गई थी। तीनों गवाह न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति के बारे में अलग-अलग बातें बता रहे हैं। ऊपर बताए गए गवाहों के अलावा ये गवाह लाश की बरामदगी के भी गवाह हैं जिसे अपीलकर्ता की माँ की निशानदेही पर बरामद किया गया था। अगर अपीलकर्ता ने लाश को दफनाने की जगह बताई होती तो सामान्य परिस्थितियों में लाश की बरामदगी अपीलकर्ता की निशानदेही पर होती जो इस मामले में नहीं हुआ है। इसके विपरीत लाश की पहचान अपीलकर्ता ने की थी जो पंचनामे के अनुसार **(**प्रदर्श पी**/2)** का गवाह था और साथ ही लाश की पहचान का भी गवाह था। इसके विपरीत, लाश की पहचान अपीलकर्ता ने की थी जो पंचनामे के अनुसार, पंचनामा (प्रदर्श पी/2) का गवाह था और साथ ही लाश की पहचान का भी अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम था और प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलकर्ता द्वारा अपनी माँ से किए गए गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति का ज़िक्र था, और अपीलकर्ता, उसकी माँ, और गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति के गवाहों सहित कई अन्य गाँव वाले वहाँ मौजूद थे, तो सामान्य परिस्थितियों में, उक्त बरामदगी अपीलकर्ता के कहने पर की गई होती और अपीलकर्ता को लाश की पहचान करने के लिए गवाह के तौर पर नहीं लिया जाता, जिसका दर्जा उस समय तक पहले ही आरोपी के तौर पर पहचाना जा चुका था। इसलिए, पंचनामे की कार्यवाही, गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति के उपरोक्त गवाहों की गवाहियों पर संदेह पैदा करती है। हमारा मानना है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, मृतक की हत्या के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए **न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति** के अकेले सबूत पर भरोसा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उपरोक्त गवाहों के सबूत कमज़ोर हैं और लाश की बरामदगी के पंचनामे की सामग्री के आधार पर उनकी गवाहियों पर संदेह होती है।

13. धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [(1994) 2 एस.सी.सी. 22] में उच्चतम न्यायालय ने कहा, "परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें न केवल पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी कि इस तरह से स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और केवल आरोपी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए उन परिस्थितियों को आरोपी के अपराध को छोड़कर किसी अन्य परिकल्पना द्वारा समझाया नहीं जा सकता है और सबूतों की श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप विश्वास के लिए कोई उचित आधार न बचे। यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि विधिक आधार पर स्थापित परिस्थितियाँ ही सज़ा का आधार बन सकती हैं, न कि न्यायालय का गुस्सा और अपराध जितना गंभीर होगा, सबूतों की जाँच में उतनी ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि शक सबूत की जगह न ले ले।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. हमने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए ऊपर दिए गए सिद्धांतों के आधार पर अभिलेख पर मौजूद सभी सबूतों की सावधानी से जांच की है। हमारा मानना है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने कानून में गलती की, जब उन्होंने सज़ा का आधार सिर्फ़ उस **न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति** को बनाया, जो कथित तौर पर अपीलकर्ता ने ऊपर बताए गए 3 गवाहों के सामने किया था, और इस बारे में उनका सबूत कमज़ोर था।

15. ऊपर बताए गए कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दी गई सज़ा और दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता को 16-07-1993 को गिरफ्तार किया गया था। उसे 09-01-2002 के आदेश से 18-03-2002 को ज़मानत पर रिहा किया गया था। फिलहाल वह ज़मानत पर है। उसके ज़मानत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा मुचलकों को उन्मोचित किया जाता हैं ।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Durga Mehar Adv.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur